रजिस्ट्री सं० डी एल(एन)-04/0007/2003-05

REGD. NO. D L(N)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 13] नई दिल्ली, जून 29—जुलाई 5, 2008, शनिवार/आषाढ़ 8—आषाढ़ 14, 1930

No. 13] NEW DELHI, JUNE 29—JULY 5, 2008, SATURDAY/ASADHA 8—ASADHA 14, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून, 2008

का.नि.आ. 57.—केन्द्रीय सरकार, रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग और उपभोग पर जो आंध्र प्रदेश राज्य में उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विशलेषण (अनुराग) कंचनबाग हैदराबाद, के पास की भूमि है, उक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्बधनों को अधिरोपित करना आवश्यक है, जिससे कि उक्त भूमि को भवन निर्माण और अन्य अवरोधों से मुक्त रखा जा सके।

अनुसूची

2. आंध्र प्रदेश राज्य में उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विशलेषण (अनुराग) कंचनबाग हैदराबाद की बाहरी दीवार की सीमा से 10 गज की दूरी में आने वाले क्षेत्र में समाविष्ट संपूर्ण भूमि।

3. उक्त भूमि का रेखाचित्र का जिला कलेक्टर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकेगा।

[फा. सं. डीसीडब्ल्यूई/07/3407/डब्ल्यूडीए/अनुराग]

एस. के. देब, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th June, 2008

S. R.O. 57.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (c) of section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule being land lying in the vicinity of Advanced Numerical Research and Analysis Group (ANURAG), Kanchanbagh, Hyderabad in the state of Andhra Pradesh, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstuctions.

SCHEDULE

2. All land comprised in the area lying within the distance of 10 yards from the crest of the outer parapet of the Advanced Numerical Research and Analysis Group, Kanchanbagh, Hyderabad in the state of Andhra Pradesh.

3. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Collecter Hyderabad, Andhra Pradesh.

[F. No. DCWE/07/3407/WDA/ANURAG]

S. K. DEB, Under Secy.

अनुसूची

दिल्ली राज्य में मैटकाफ हाउस की सीमा दीवार की बाहरी मुंडेरे के शिखर से चालीस मीटर की दूरी में आने वाले क्षेत्र में समाविष्ट संपूर्ण भूमि ।

[फा. सं. डीसीडब्ल्यूई/07/34079/डब्ल्यूडीए/मैटकाफ]

एस. के. देब, अवर सचिव

New Delhi, the 9th June, 2008

S. R.O. 60.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (c) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule hereto annexed, being land lying in the vicinity of Defence Research Development Organisation (DRDO) Laboratories at Metcalfe House in the State of Delhi, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstuctions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner (North), Delhi.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of forty metres from the crest of the outer parapet of the boundary wall of Metcalfe House in the State of Delhi.

[F. No. DCWE/07/34079/WDA/METCALFE]

S. K. DEB, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 17 जून, 2008

का.नि.आ. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, लेखा काडर भर्ती नियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, लेखा काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, लेखा काडर भर्ती नियम, 1999 की अनुसूची में, ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, श्रेणी-2 के पद के अधीन,-

(i) स्तम्भ 11 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"66.66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

33.34 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा"

(ii) स्तम्भ 12 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**प्रोन्नति** : 7450-11500 रुपए की श्रेणी में ऐसा लेखा अधिकारी, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है ।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हों और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति या आमेलन :—केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 7500-12000 रुपये या सममुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 7450-11500 रुपये या सममुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास लेखा मामले में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो ।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किंसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

[सं. मार्सविनि/97011/आरआर/लेखा अधिकारी/सी/पी/10]

एस. के. देब, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र में सं. का.नि.आ. 132 तारीख 15 जुलाई, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. का.नि.आ. 171 तारीख 22 जुलाई, 2002 तथा सं. का.नि.आ. 11 तारीख 17 जनवरी, 2004 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 17th June, 2008

S. R.O. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President

hereby makes the following rules to amend the Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence Accounts Cadre Recruitment Rules, 1999, namely:—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence Accounts Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence Accounts Cadre Recruitment Rules, 1999, in the Schedule, against the post of Senior Accounts Officer Grade-II,—

(i) in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"66.66 per cent by promotion

33.34 per cent by deputation or absorption"

(ii) in column 12, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"**Promotion :** Accounts Officer in the grade of Rs. 7450—11500 with three years regular service in the grade.

Note :—Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation or Absorption : Officers of the Central Government :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;

or

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 7500—12000 or equivalent in the parent cadre or department;

or

(iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 7450—11500 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing atleast five years experience in Accounts Matter.

Note :—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications."

[No. DHRD/97011/RR/ACCTS OFFICER/C/P/10]

S. K. DEB, Under Secy.

Footnote :—The principal recruitment rules were published in the Gazette of India *vide* number S.R.O. 132 dated the 15 July, 1999 and were subsequently amended *vide* number S.R.O. 171 dated the 22 July, 2002 and number S.R.O. 11 dated the 17th January, 2004.

नई दिल्ली, 21 मई, 2008

का.नि.आ. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुछेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा अनुसंधान विकास सेवा नियम, 1979 की अनुसूची 7 के पैरा 2 के उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) वैज्ञानिक "ख" की कैम्पस भर्ती विनिर्दिष्ट विद्या शाखा में इंजीनियरी उपाधि पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष से आगे के छात्रों में से की जाएगी" ।

[सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/सी/पी/04]

एस. के. देब, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग II खंड 4, में का.नि.आ. 8 तारीख 30 दिसंबर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.नि.आ. 307, तारीख 10 अक्तूबर, 1980, का.नि.आ. 196, तारीख 02 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159, तारीख 06 मई, 1983, का.नि.आ. 176, तारीख 07 अगस्त, 1984, का.नि.आ. 228, तारीख 13 नवम्बर, 1984, का.नि.आ. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186, तारीख 2 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228, तारीख 06 जून, 1986, का.नि.आ. 158, तारीख 4 मई, 1987, का.नि.आ. 328, तारीख 25 सितम्बर, 1987, का.नि.आ. 11(अ), तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1, तारीख 4 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33, तारीख 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 5 मार्च, 1991, का.नि.आ. 146,